

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1135 / बिजनौर / 17397 / 2016, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 23, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषय : बिजनौर में बिजनौर—नूरपुर मार्ग किमी 0.6 की दायीं पटरी पर ग्राम—महगाली के खसरा स0—524, 527, 528 व 534 मैं लीला फार्म हाउस द्वारा विकसित किये जा रहे बैंकट हाल के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0465 हेक्टेक्टर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यूपी/06/33/2016/एफसी/60, दि 02.04.2016,
उ0प्र0शासन का पत्रांक—भा0स0—95/14—2—2016—800(52)/2016, दि 01.05.2016,
भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यूपी/06/33/2016/एफसी/398, दि 02.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दि 02.04.16 द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने की कार्यवाही प्रयोक्ता एजेंसी व सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

प्रकरण में शासन को सम्बोधित एवं अन्य के साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित भारत सरकार का सन्दर्भित पत्र दि 26.09.17 प्राप्त हआ है, जिसमें वांछित सूचना 45 दिनों के अन्दर भारत सरकार न उपलब्ध कराने की दशा में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को बन्द कर दिया जायेगा।

वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक—1203/14—1, दि 01.10.2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त पत्र एवं संशोधित प्रस्ताव की सी0डी0 सहित दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

महोदय,

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक—

/ उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में।
- 2— वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मरादाबाद।
- 3— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
- 4— डा० नरेश कुमार वर्मा, लीला फार्म(बैंकट हाल) निकट रुट्स इंटरनेशनल स्कूल, नूरपुर रोड, बिजनौर।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।